

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

लक्ष्मीत सिंह बनाम कुलकर्णी सिंह अदि

रण संख्या 6, 2020 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही पर हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

3
21/22

अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राची पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिस किया। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची द्वारा प्राची पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिस करने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणति होकर नम्बर से कम होकर मूलापार के साथ संलग्न है।

अधिवक्ता 22/2/20
NOT MISS
[Signature]



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

